चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 27.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 27.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 27.03.2025 को नवागंतुक पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस. का पुलिस कार्यालय के आगमन पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुष्पगुच्छ देकर पुलिस उपमहानिरीक्षक का स्वागत किया गया तथा पुलिस कार्यालय के समस्त शाखाओं का भ्रमण कर उनका निरीक्षण किया गया तथा पुलिस अधीक्षक चैम्बर में बैठकर आये हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर, उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

पुलिस लाइन सशस्त्र टीम,महिला थाना,साइबर सेल/थाना साइबर क्राइम,यातायात पुलिस व अग्निशमन टीम द्वारा प्रदेश सरकार के 'सेवा, सुरक्षा व सुशासन' नीति के 08 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर त्रिदिवसीय मेला कार्यक्रम में शस्त्र,मिशन शक्ति, साइबर अपराध,यातायात,अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किया गया

(4).पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस. द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय के राघव प्रेक्षागार में टूटते परिवारों को सहेजता परिवार परामर्श केन्द्र के दाम्पत्य को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र टीम म0उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी,महिला आरक्षी शिवाग्नी देवी व महिला आरक्षी मंजूलता द्वारा वर्ष 2024 से अबतक कुल 157 दाम्पत्य जोडे को उभरे मतभेदों को परिवार परामर्श केन्द्र,कार्यालय पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के माध्यम से उभय पक्षों को समझा – बुझाकर समाधान कराया गया। परिमाणस्वरूप दोनों दाम्पत्य जीवन के निर्वहन हेतु प्रसन्नता प्रकट करते हुए एक साथ रहने को राजी हो गये। वर्तमान समय में दोनों दाम्पत्य जीवन खुशी-खुशी सकुशल निर्वहन कर रहे है। आप दोनों के इस निर्णय से समाज में एक सकारात्मक संदेश गया उसके लिए आप सभी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

सर्विलास सेल टीम निरीक्षक श्री एम0पी0 त्रिपाठी,मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार,आरक्षी रोहित सिंह,आरक्षी आशीष यादव,आरक्षी राघवेन्द्र,आरक्षी रोशन सिंह,आरक्षी गोलू भार्गव द्वारा आज दिनाँक 27.03.2025 को 10 व्यक्तियों के खोये हुए मोबाइलों को सुपुर्द किया गया। इसी तरह सर्विलास सेल टीम द्वारा वर्ष 2024 से अबतक कुल 325 मोबाइल,कीमत कुल 35 लाख रूपये के पीड़ित व्यक्तियों को वापस कराये गये।

साइबर सेल टीम निरीक्षक श्री निशिकान्त राय व आरक्षी प्रशान्त कुमार व आरक्षी सर्वेश कुमार द्वारा वर्ष 2024 से आज तक कुल 130 प्रकरणों में 67 लाख रूपये रिफण्ड तथा 70 लाख रूपये फ्रीज/होल्ड कराये गये। राघव प्रेक्षागार में पीड़ित व्यक्तियों को क्या न करें- के बारे में विधिवत जानकारी दी गयी। 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी.वी.वी. तथा ओटीवी नम्बर,एस.एम.एस. न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करने किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस.एम.एस. फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के.बी.सी. आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीम व्यूवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इंस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे

पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रभारी सोशल मीडिया/साइबर सेल निरीक्षक श्री निशिकान्त राय,प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ उ0नि0 श्री पवन प्रधान, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(5).आज दिनांक 27.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद,उपजिलाधिकारी मानिकपुर श्री मोहम्मद जशीम की उपस्थिति में थाना मानिकपुर अन्तर्गत कम्पोजिट विद्यालय ग्राम सकरौहा में पाठा की पुलिस पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम समाज के ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों को उनकी प्राथमिक शिक्षा से वंचित रख रहे है उन सभी से बच्चों के स्कूल में दाखिला दिलाए जाने हेतु अपील की गयी एवं सभी को उनके शिक्षा के अधिकार से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि पाठा की पुलिस पाठशाला से यह संदेश ग्रामवासियों तक पहुंचे इसके लिए वृह्द स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। पुलिस व शिक्षा विभाग के सहयोग स्कूली बच्चों को शिक्षा की तरफ उन्मुख करने हेतु कक्षा 03 से 08 तक के 220 बच्चों को किताबे व अन्य लेखन सामग्री वितिरित की गयी। कार्यक्रम में
बाल संरक्षण अधिकारी डॉ0 सौरभ कुमार सिंह व सीडब्लूसी अध्यक्ष श्री राजेश कुमार द्वारा बाल विवाह न करने व बच्चों के चौमुखी विकास के सम्बन्ध में बताया गया तत्पश्चात प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह द्वारा स्कूल के बच्चों एवं उनके अभिभावकों व ग्रामवासियों को नशा न करने , यातायात नियमों के सम्बन्ध में बताया गया कि ओवर स्पीडिंग न करें, दो पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग व तीन सवारी को न बैठाने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग, सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट/खतरनाक ड्राइविंग न करने, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तुरंत मदद करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने,लेन ड्राइविंग व अत्यधिक तेज हार्न का प्रयोग न करने, वाहन चलाते मोबाइल फोन का प्रयोग न करने ,गलत तरीके से ओवर टेकिंग न करने, दाएं बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करने के बारे में बताया गया। इन सभी नियमों के पालन से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है बताया गया ।
इसी क्रम में थाना मानिकपुर में तैनात महिला आरक्षी अंशू सैनी द्वारा महिलाओं/बालिकाओ को "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों तथा- स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।
साइबर थाना में तैनात आरक्षी शुभम द्विवेदी द्वारा बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम हेतु बताया गया कि क्या करें क्या न करें। 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करने किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीम व्यूवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8.

फेसबुक,इंस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।
इस दौरान प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिवआसरे,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह,प्रधानाध्यापक श्री मिथलेश व उनकी टीम सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।

(6). आज दिनांक 27.03.2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 08 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर साइबर सेल के आरक्षी प्रशान्त कुमार व आरक्षी सर्वेश कुमार द्वारा जगद्गुरु रामभद्राचार्य राज्य दिव्यांग विश्वविद्यालय कर्वी चित्रकूट में साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। जिसमें सभी छात्र/छात्राओं को साइबर धोखाधड़ी से बचने प्रमुख बिन्दु बताये गये- 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करने किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा आज दिनाँक 27.03.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1.राजकुमार पुत्र रामचंद्र निवासी पुरुषोत्तमपुर थाना औराई जनपद भदोही हाल पता शास्त्री नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2. उमेश बरनवाल पुत्र स्व० ईश्वरदयाल निवासी आसनसोल थाना नार्थ जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल हाल पता शास्त्री नगर कस्बा मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 400/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनांक 27.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत एनसीआर न0 81/2015 धारा 504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. सत्यनारायण उर्फ संता पुत्र मलका 2. शिवकुमार उर्फ परधनवा पुत्र देशराज निवासी ग्राम रंगोली थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/-1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह व मुख्य आरक्षी ब्रज बिहारी द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 27.03.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 163/2019 धारा 498A भादवि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1. कृष्णकुमार त्रिपाठी पुत्र स्व0 अवधबिहारी 2. विकाश पुत्र कृष्ण कुमार निवासी किशनपुर थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर को 03 वर्ष का कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 15.10.019 को वादी चंद्रशेखर पाण्डेय पुत्र शिवप्रसाद पांडेय निवासी लमियारी थाना वर्तमान सरधुवा जनपद चित्रकूट ने थाना राजापुर पर सूचना दी कि अभियुक्तगणों द्वारा अतिरिक्त दहेज की माँग कर प्रताडित करते है और गाली गलौच मारपीट करते है। जिससे तंग आकर मेरी पुत्री ऊषा ने मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर दी। सूचना पर थाना राजापुर में कर्वी पर मु0अ0सं0 163/2019 धारा 498A,306 व भादवि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री इस्तियाक अहमद द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 17.09.2020 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(10). सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चैत्र मास अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में दिनांक 28.03.2025 प्रातः 06.00 बजे से दिनाँक 29.03.2025 रात्रि 12.00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक 29.03.2025 के पश्चात आम जनमानस को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराये जाने एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कर्वी नगर में दिनांक 30.03.2025 से 30 दिवस तक या नवीन आदेश दिये जाने की तिथि, जो पूर्व हो, निम्नांकित विवरण के अनुसार भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

क्र0सं0 स्थान प्रतिबंधित समय

1. लोढ़वारा मोड, राजापुर मार्ग प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.30 बजे तक
2. रेहुटिया (रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व) प्रयागराज रोड प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
3. खोह (पुलिस लाईन तिराहा) मानिकपुर रोड प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
4. शेषनपुरवा मोड़ सोनेपुर, सतना रोड प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक
5. बेड़ी पुलिया (मत्यगजेन्द्रनाथ धर्मकांटा) बांदा रोड प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक
6. निर्मोही अखाड़ा यूपी एमपी बार्डर से बेड़ी पुलिया तिराहा तक प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक

1. प्रातः 06.00 बजे नो इन्ट्री बैरियरों से प्रवेश किये हुए भारी माल वाहन प्रातः06.30 बजे तक प्रत्येक दशा में नो इन्ट्री क्षेत्र से बाहर निकल जायेगें।
2. निर्मोही अखाड़ा यूपी एमपी बार्डर से बेड़ी पुलिया तिराहा तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नया नो इन्ट्री मार्ग घोषित किया गया है।
3. नगर में वैवाहिक / धार्मिक / त्यौहार / जुलूस / झांकी / शोभा यात्रा / राजनैतिक कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत नो इन्ट्री के समय में परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तन की सूचना नो इन्ट्री बैरियर पर ही दी

(11). देश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 08 वर्ष पूरे होने तथा कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराए जाने के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन चित्रकूट में आज दिनांक 27.03.2025 को पुलिस अधिकारी/पुलिसकर्मियों के लिए भोज (बड़ा खाना) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी चित्रकूट शिवशरणप्पा जी एन व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह सहित सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों को भोजन परोसा गया ,साथ ही उनके साथ बैठ कर भोजन किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी श्री फहद अली, प्रतिसार निरीक्षक शिवनारायण एवं समस्त थाना प्रभारी , चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।